

दि०-०६.०३.२०१६ को श्री बी०सी० निगम, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची के द्वारा श्री ए०के० रस्तोगी, विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड, रांची के साथ दलमा हाथी परियोजना के भ्रमण से संबंधित टिप्पणी-

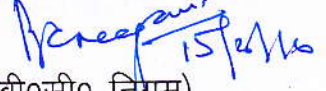
दि०-०६.०३.२०१६ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ए०के० रस्तोगी, विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड, रांची के साथ दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की सीमाओं के कुछ स्थान पर भ्रमण किया गया ।

भ्रमण के क्रम में मुख्य रूप से निम्न स्थिति पाई गई-

1. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर वन प्रमंडल एवं सरायकेला वन प्रमंडल की एन०एच०-३३ के वनों की स्थिति एवं वन सीमा की स्थिति काफी दयनीय स्थिति में देखी गई ।
2. वनभूमि की सीमाओं पर पिलर्स होने चाहिए, वन सीमा स्पष्ट रूप से डिमार्केट होनी चाहिए, जबकि ऐसी स्थिति नहीं पाई गई । यह बहुत ही खेद का विषय है ।
3. एन०एच०-३३ से दिखने वाली कई पहाड़ियां, जो वनभूमि के रूप में अधिसूचित हैं, अवकृष्ट अवस्था में देखी गई । इन पहाड़ियों के अवकृष्ट होने के कारण काफी मात्रा में भू-क्षरण भी हो रहा है । नीचे के हिस्से में छोटी-छोटी नालियों और नालों में पानी का रफ्तार अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि का कटाव देखा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची, मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गज परियोजना, जमशेदपुर, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के स्तर पर इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ।
4. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की सीमाओं का सर्वे ठीक से कराकर (संभवतः डी०जी०पी०एस०) के माध्यम से स्पष्ट वन सीमा स्तंभ स्थापित किए जाएं । आवश्यकतानुसार वनभूमि की सीमा को स्पष्ट करने के लिए ट्रेंच इत्यादि का किया जाय । इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि सीमाओं पर दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अंदर की तरफ इको ट्यूरिज्म जोन स्थापित किया जाए, जिसमें नेचर ट्रेल इत्यादि रहे । ऐसी स्थिति में वन सीमा पर परफोरेटेड या अन्य प्रकार की बाउंड्रीवाल के निर्माण इत्यादि के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है ।
5. ऐसी पहाड़ियां, जो अवकृष्ट हो गई हैं, उनमें भूमि संरक्षण का कार्य किया जाना बहुत ही आवश्यक है । अतः संबंधित अधिकारी अविलंब ऐसी सभी पहाड़ियों को भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लें एवं अविलंब कार्य आरंभ करें । यदि यह कार्य किया जाएगा, तो अगले दो से तीन साल में सभी पहाड़ियां हरी-भरी हो जाएगी ।

6. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी का सर्वेक्षण कर संपूर्ण आश्रयणी में कैट प्लान (Catchment Area Treatment) तैयार कराकर उसका क्रियान्वयन किया जाए । इससे हाथियों का प्रवास क्षेत्र भी बेहतर होगा एवं संभव है कि हाथी-मानव द्वंद्व की समस्याओं में भी कमी आए ।
7. भू-संरक्षण कार्य के अंतर्गत ट्रेंच/कंटूर ट्रेंच इत्यादि पर हाथी के द्वारा खाए जाने वाले वृक्षों के बीज सीधे ट्रेंच या उसकी बर्म पर लगाये जायें ।
8. इस क्षेत्र के वन्यप्राणी एवं प्रादेशिक कार्यों से संबंधित सभी वन अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं समय-समय पर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का क्रियान्वयन एवं प्रारंभिक अनुपालन 10 दिनों के अंदर भेजें ।


(बी०सी० निगम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड रांची ।

ज्ञापांक- 11E-19(A)36/15 — 919

रांची, दि०- 15.3.16

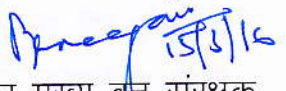
प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक- 11E-19(A)36/15 919

रांची, दि०- 15.3.16

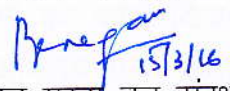
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक- 11E-19(A)36/15 — 919

रांची, दि०- 15.3.16

प्रतिलिपि : इन्विस सेंटर, रांची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक